राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–प.5 (1) निपेवि/नियम/99/पार्ट–3/ 3307-3318 H   दिनांकः 06-11-2015

1. जनरल मैनेजर, (मुख्य प्रबन्धक) या महाप्रबन्धक, एस.बी.बी.जे, तिलक मार्ग, जयपुर।
2. डिप्टी जनरल मैनेजर (उप महाप्रबन्धक), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
3. जनरल मैनेजर (महाप्रबन्धक), बैंक ऑफ बड़ौदा, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
4. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
5. सहायक जनरल मैनेजर (सहायक उप महाप्रबन्धक), रीजनल ऑफिस, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक, यू. को. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड़, जयपुर।
7. डिप्टी जनरल मैनेजर (उप महाप्रबन्धक), यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी सब्जी मण्डी, जयपुर।
8. डिप्टी जनरल मैनेजर (उप महाप्रबन्धक), इलाहाबाद बैंक, एल.आई.सी. बिल्डिंग, जीवन निधि भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
10. डिप्टी जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (हैड ऑफिस), यू.डी.बी. बिल्डिंग, प्लॉट नं 12–ए, गोविन्द मार्ग, सिंधी कॉलोनी, जयपुर।
11. जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जनरल ऑफिस, 104, अहिंसा सर्कल, रिद्धि सिद्धि भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
12. आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, बी–4, सेक्टर–2, जवाहर नगर जयपुर।

विषयः–आधार प्रमाण–पत्र पर आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (2) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 02.07.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 134 एवं 136 मे संशोधन कर आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में राज्य सरकार के ज्ञापन संख्या एफ. 12(2) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 19 अक्टूबर 2015 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा jeevanpramaan.gov.in को डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार अब राजस्थान राज्य के सिविल पेंशनर अपना जीवन प्रमाण–पत्र उक्त वैब साईट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट पर प्राप्त बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सर्वप्रथम पेंशन पोर्टल (http.pension.raj.nic.com) पर संग्रहित एवं सत्यापित होंगे। तदोपरान्त सम्बन्धित बैंक पेंशन पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी से लोगिन कर सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र को ऑन लाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वैबसाईट के माध्यम से प्राप्त जीवन प्रमाण—५ स्वीकार कर पेंशन का समय पर भुगतान करने हेतु, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें। यह सुविधा पूर्व में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा के अतिरिक्त हैं। यदि पेंशनर बैंक शाखा पर उपस्थित होता है तो उसका जीवन प्रमाण पत्र बैक अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने का प्रावधान भी यथावत है। अतः जो पेंशनर बैंक में उपस्थित होते हैं अथवा सक्षम प्राधाधिकारी द्वारा प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र भेजते हैं तो पूर्ववत स्वीकार किया जाने चाहिए।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(के.के. गैडियोक)
निदेशक